राजस्थान – सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – मनोज, आर.ए.एस
मुकदमा संख्या– 179/23 प्रा०पत्र
1– श्री रामधन s/o श्री देवीलाल जाट निवासी-दांताकला तहसील-माण्डल

– प्रार्थी

बनाम

1– श्री रामकुंवार s/o श्री देवीलाल जाट निवासी-दांता कला त० माण्डल [कौन्]
(प्रस्तावित प्रा०पत्र मालकान)

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111– 128 रा.भू. रा. अधि. 1956

दिनांक – 21 5.24

: आदेश :

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा. भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम दांताकला पटवार हल्का दांताकला तहसील माण्डल मे उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न० 1289, 1293, 1294, 1366, 588, 1367 कुल किता 06 रकबा 5-1218 हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदाखिला के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिनर सीमा संबधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिससे प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 06-10-23 को पंजीबद्व किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्व है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एव कब्जे काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है । वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पर स्वीकार योग्य है।

: आदेश :

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम दांताकला पटवार हल्का दांताकला तहसील माण्डल मे उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी न० 1289 1293 1294 1366 588 1367 कुल किता 06 रकबा 5.1218 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक माण्डल को 2700 रूपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी मे मोके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.13 10:46:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
माण्डल

प्रतिलिपि:– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा फीस जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिर्पोट 07 दिवस मे प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
माण्डल